सं. W-11037/01/2012-MIS (NRDWP)
(ई-सं. W-11037/1/2015-W-II)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
******

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 15 सित. ,2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
झारखंड / जम्मू एवं कश्मीर / महराष्ट्र / पंजाब / राजस्थान / उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश / पश्चिमी बंगाल / असम / अरुणाचल प्रदेश / बिहार / गोवा / मणिपुर / मिजोरम / मेघालय तथा नागालैंड राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी।

विषय: राज्य में e-procurement के कार्यान्वयन में को नियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय लंबे समय से संबद्ध राज्यों को e-procurement के कार्य के लिए मानव बल सहायता उपलब्ध करा रहा है। विभिन्न संवादों तथा वीडियो कॉंफ्रेंस के दौरान राज्यों से कहा गया है कि e-procurement के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सहायता का पूरा लाभ उठाएँ और अपने कर्मियों को प्रशिक्षण दिलवाएँ ताकि वे शीघ्र ही e-procurement की प्रक्रिया से परिचित हो जाएँ। मंत्रालय का यह मानना है कि अब प्रशिक्षण की सुविधा पर्याप्त अवधि के लिए उपलब्ध हो चुकी है और इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01.08.2015 के प्रभाव से नियोजित व्यक्तियों की सुविधा को बंद किया जाए ।

2. तथापि, यदि किसी राज्य को अब भी सहायता की आवश्यकता है तो वह एनआरडीडब्ल्यूपी के सहायता घटक अथवा आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस निधि उपयोग करके मानव बल को नियुक्त कर सकता है।

भवदीय,

Rajesh

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)

प्रति:

1. तकनीकी निदेशक, एमडीडब्ल्यूएस, 9वॉं तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली। (Web Hosting)
2. एनआईसीएसआई, नई दिल्ली ।